प्रेषक,

एस0 के0 मुट्टू
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : 482/XVII-2/2010-06(39)/2005

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक: 19 अगस्त 2010

विषय:–उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–916/65–1–2000 दिनांक 19 जून, 2000 के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था तथा इसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया था।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उक्त कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न स्तम्भ–5 में उल्लिखित दर के स्तम्भ–6 के अनुसार दरों में वाहन भत्ता को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पूर्व वेतनमान वेतन स्तर (मूल वेतन)	वर्तमान वेतन बैण्ड	ग्रेड–पे	शासनादेश दिनांक 19 जून, 2000 के अनुसार वर्तमान दर (रु0 में)	वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर (रु0 प्रतिमाह)
1	2	3	4	5	6
1.	रु0 3049 तक	रु0 5200–20200	रु0 1800 तक	150	300
2.	रु0 3050 से 5999 तक	रु0 5200–20200	रु0 2400 तक	200	400
3.	रु0 6000 से अधिक	रु0 9300–34800	रु0 4200 व अधिक	250	500

Latest August 2010

Scanned by CamScanner

2. उपरोक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा, उसे सम्बन्धित विभाग अपने-अपने आय-व्ययक के सम्बन्धित लेखाशीर्षक/प्राथमिक इकाई में तदनुसार बजट व्यवस्था से और व्यवस्था न होने पर व्यवस्था कराकर वहन करेंगे।

3. उक्तानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2641/XXVII(7)/2010 दिनांक 17 अगस्त 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या / /XVII-2/2010-04(39)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
6. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय नैनीताल।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. ~~सार्वजनिक उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।~~
9. वित्त अनुभाग-3/वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु-7 उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड को अपने अधीनस्थ समस्त विभागों में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner